AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) सं. 37 / 2012

एम. एल. पटेल पिता: स्व. बी. आर. पटेल, उम्र 57 वर्ष, पदस्थ - सब इंस्पेक्टर, पुलिस लाइन धमतरी, जिला धमतरी। निवासी - पुलिस लाइन, दुर्ग, ब्लॉक नं. C, क्वार्टर नं. 12, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

— याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर, जिला रायपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, रेंज-दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)
3. पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग (छ.ग.)

— प्रतिवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राजकुमार गुप्ता, अधिवक्ता।
प्रतिवादियों (राज्य) की ओर से: श्री जितेंद्र पाली, उप महाधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

आदेश

दिनांक: **09.12.2021**

1. यह रिट याचिका में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी क्रमांक 3/ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमावली के विनियम 221 द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि वह याचिकाकर्ता पर एक वेतन वृद्धि रोकने की दंडात्मक कार्रवाई, जो संचयी प्रभाव वाली हो, कर सके।

2. उपरोक्त प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर उत्पन्न हुआ है: -

2.1 याचिकाकर्ता के खिलाफ नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा नियमित विभागीय कार्यवाही चलाई गई और अंततः दिनांक 26.5.2007 (परिशिष्ट पी-1) के आदेश द्वारा, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी, जिसका संचयी प्रभाव भविष्य की वेतन वृद्धियों और पेंशन आदि पर भी पड़ा। उक्त दंडात्मक आदेश को याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी/ पुलिस महानिरीक्षक, रेंज दुर्ग के समक्ष अपील दाखिल कर चुनौती दी। दिनांक 27.8.2008 (परिशिष्ट पी-2) के आदेश द्वारा, प्रतिवादी क्रमांक 2/पुलिस महानिरीक्षक ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 1/राज्य सरकार के समक्ष द्वितीय अपील दायर की, जिसे प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा भी खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध यह रिट याचिका दायर की गई है। रिट याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की गई है कि विनियम 221 के अनुसार, पुलिस अधीक्षक को उपनिरीक्षकों और सहायक उपनिरीक्षकों की वेतन वृद्धि को एक वर्ष की अवधि के लिए रोकने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। इस याचिका में किए गए दावों का प्रतिवादियों ने खंडन किया है और रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. श्री राजकुमार गुप्ता, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, का एकमात्र तर्क यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 3/उनके नियुक्ति प्राधिकारी को वेतन वृद्धि रोकने की सजा देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, विशेष रूप से जब यह सजा संचयी प्रभाव डालती है और भविष्य की वेतन वृद्धियों तथा पेंशन पर भी प्रभाव डालती है। क्योंकि यह विनियम 221 के प्रावधानों के विरुद्ध है, अतः विवादित आदेशों को निरस्त किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, श्री जितेंद्र पाली, प्रतिवादियों/राज्य सरकार के लिए विद्वान उप महाधिवक्ता, विवादित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करेंगे कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, जिसे अपीलीय प्राधिकारी और राज्य सरकार द्वारा विधिवत् पुष्टि की गई है, पूर्णतः विधि के अनुरूप है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया और साथ ही रिकॉर्ड का अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

6. प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत था। उसके विरुद्ध आयोजित नियमित विभागीय जांच में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उसे एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी, जिसका संचयी प्रभाव होगा, और साथ ही यह निर्देश दिया कि इसका प्रभाव याचिकाकर्ता की भविष्य की वेतन वृद्धियों और पेंशन आदि पर भी पड़ेगा। उक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील

भी असफल रही और इसे खारिज कर दिया गया, तथा द्वितीय अपील भी खारिज कर दी गई, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

7. उप-निरीक्षकों और सहायक उप-निरीक्षकों पर लगाए जाने वाले दंड को विनियम 214 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है: -

> "214. दंड - प्रकार। - किसी भी प्रचलित विधि या उस समय प्रभावी विशेष आदेशों को प्रभावित किए बिना, निम्नलिखित दंड उचित और पर्याप्त कारणों से अधीनस्थ पुलिस सेवा में पद धारण करने वाले किसी भी सदस्य पर लगाए जा सकते हैं:-
>
> (i) पदोन्नति रोकना;
>
> (ii) वेतन वृद्धि रोकना, जिसमें दक्षता बाधा (efficiency bar) या स्थिरता भत्ता (stagnation allowance) पर रोक लगाना शामिल है;
>
> (iii) किसी निम्न पद या वेतनमान में अवनति करना, या निर्धारित अवधि के लिए वेतनमान में किसी निम्न स्तर पर घटाना, साथ ही यह निर्देश देना कि क्या अधीनस्थ पुलिस सेवा का सदस्य उक्त अवधि के दौरान वेतन वृद्धि या स्थिरता भत्ता अर्जित करेगा या नहीं, और क्या उस अवधि की समाप्ति के बाद यह अवनति उसकी भविष्य की वेतन वृद्धि या स्थिरता भत्ते को टालने का प्रभाव डालेगी या नहीं;
>
> नोट:- "वेतनमान में निम्न स्तर पर घटाने" की अभिव्यक्ति में यह भी शामिल होगा कि यदि कोई स्थिरता भत्ता दिया गया हो, तो अधीनस्थ पुलिस सेवा के किसी सदस्य द्वारा प्राप्त वेतन स्तर से वेतन में कटौती की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण सरकार या पुलिस कल्याण हेतु बनाए गए किसी भी कोष को हुई किसी भी वित्तीय हानि की संपूर्ण या आंशिक राशि वेतन से वसूल करना;

(v) सेवा से हटाना, जो भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य नहीं बनाता है;

(vi) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य बनाती है;

(vii) निलंबन दंड नहीं है;

(viii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

8. विनियम 214 विभिन्न लघु/गंभीर दंडों को निर्धारित करता है, जिन्हें किसी प्रचलित विधि या उस समय प्रभावी किसी विशेष आदेश को प्रभावित किए बिना लागू किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विनियम 221 पुलिस अधीक्षक की उन शक्तियों को प्रदान करता है, जिनके तहत वह दंड लगा सकता है, जो इस प्रकार हैं: -

"221. पुलिस अधीक्षक की शक्ति -

एक सहायक महानिरीक्षक या पुलिस अधीक्षक को निम्नलिखित दंड लगाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं:

(a) प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों पर विनियम 214 से 217 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लगाने की शक्ति।

(b) उपनिरीक्षकों और सहायक उपनिरीक्षकों पर विनियम 214(i) और (iv) या विनियम 215(a) और (b) में निर्दिष्ट दंड लगाने की शक्ति, या उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक की वेतन वृद्धि को उस तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए रोकने की शक्ति, जब वह देय होती है।

(c) उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक के वेतन में कटौती करने की शक्ति।

(c-1) निरीक्षकों को निंदा (censure) का दंड देने की शक्ति।

(d) किसी भी अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को उसकी आचरण की जांच लंबित रहने तक निलंबित करने की शक्ति।"

10. उपरोक्त प्रावधानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि विनियम 221(1) (b) के अनुसार, पुलिस अधीक्षक को उपनिरीक्षकों और सहायक उपनिरीक्षकों की वेतन वृद्धि को उस तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए रोकने की शक्ति प्राप्त है, जब वह देय होती है। हालांकि, पुलिस अधीक्षक को उपनिरीक्षकों और सहायक उपनिरीक्षकों की वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव (cumulative effect) के साथ रोकने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। यह बात दिनांक 10.10.2008 (परिशिष्ट पी-9) को पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी ज्ञापन से भी स्पष्ट होती है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सिविल लाइन्स, रायपुर 492001
पुलिस निर्देश क्रमांक-04

क्रमांक- पुमु/प्रशा/विजांच/1273/08 रायपुर, दिनांक 10/10/2008

प्रति,
समस्त पुलिस इकाइयाँ
छत्तीसगढ़

विषय – वेतनवृद्धि संचयी रूप से रोकने का नियम विरुद्ध आदेश जारी न करने बाबत।

कई प्रकरणों में अनुशासनिक अधिकारियों द्वारा विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अपराधी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध "एक वेतनवृद्धि संचयी रूप से रोकने का दंड" या "एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए रोके जाने का दंड जिसका प्रभाव संचयी होगा" अधिरोपित किए गए हैं, जो नियमानुकूल नहीं हैं। कृपया इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस रेग्यू के पैरा 214 का अवलोकन हो जिसमें इस प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। चूंकि पुलिस रेग्यू के पैरा 221 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को इस प्रकार का दंड अधिरोपित करने का अधिकार नहीं है। इस

कारण माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा कई बार इस प्रकार के दंडादेश अपास्त किए गए हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी M090 शासन एवं अन्य विरुद्ध राधिक प्रसाद दुबे (दिनांक 25 अप्रैल 1994) में उपर्युक्तानुसार दंडादेश अपास्त किया गया है।

अतः भविष्य में अनुशासनिक अधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सही /-
(विश्वरंजन)
पुलिस महानिदेशक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अतः, यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि पुलिस अधीक्षक को वेतनवृद्धि को स्थायी रूप से रोकने की सजा देने का कोई अधिकार और क्षेत्राधिकार नहीं है। वह केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वेतनवृद्धि को रोकने की सजा दे सकता है, जो उस तिथि से लागू होगी जब वह वेतनवृद्धि देय होगी। तदनुसार, दिनांक 26.05.2007 (संलग्नक P-1) को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित तथा अपीलीय प्राधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आदेश को निरस्त किया जाता है। आरोपित दंड को संशोधित किया जाता है, और यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकने की सजा दी जाए, जो उस तिथि से लागू होगी जब वह वेतनवृद्धि देय होगी।

12. उपरोक्त शर्तों के साथ रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। चूंकि याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, अतः उपरोक्त दंड संशोधन के परिणामस्वरूप यदि कोई वित्तीय

लाभ बनता है, तो वह उसका हकदार होगा। लागत (खर्च) के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

Sd/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**